



शोध भूमि

शिक्षा एवं शिक्षण शास्त्र विषय की पूर्व समीक्षित शोध पत्रिका

शिक्षक शिक्षा और उसके पाठ्यक्रम पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावों का : तार्किक अध्ययन

डॉ. बजरंगी मंडल

सहायक व्याख्याता

शाश्वत इंस्टिट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, राँची, झारखण्ड, भारत।

ई-मेल—bajrangimandal01@gmail.com

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इक्कीसवीं सदी के भारत की अकादमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया एक व्यापक नीतिगत दस्तावेज है, जो देश की समूची शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन की वकालत करता है। किसी भी शैक्षिक सुधार की सफलता अंततः उसके शिक्षकों की क्षमता और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। इस शोध पत्र में शिक्षक शिक्षा और उसकी पाठ्यचर्या पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बहुआयामी एवं गुणात्मक प्रभावों का एक समालोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र में व्याप्त विसंगतियों, जैसे: गुणवत्ताहीन एकल संस्थानों की बहुलता, अप्रचलित शिक्षण पद्धतियाँ और व्यावहारिक अंतःक्रिया की कमी, को रेखांकित करते हुए यह शोध नीति द्वारा सुझाए गए संरचनात्मक सुधारों का मूल्यांकन करता है। शोध के अंतर्गत मुख्य रूप से माध्यमिक एवं प्राथमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में आए क्रांतिकारी बदलावों का विश्लेषण किया गया है। इसके निष्कर्ष दर्शाते हैं कि वर्ष 2030 तक एकल बी.एड. कॉलेजों को बहु-विषयक परिसरों में परिवर्तित करना और 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता बनाना शिक्षक शिक्षा के मानकीकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम है। पाठ्यचर्या के स्तर पर, स्कूली शिक्षा के नए विकासात्मक ढाँचे के साथ तार्किक संरेखण, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का समावेशन, तथा चरित्र निर्माण हेतु शपंचकोश विकास जैसी श्भारतीय ज्ञान परंपरा के सिद्धांतों का एकीकरण भावी शिक्षकों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल युग की आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम में ब्लेंडेड लर्निंग, राष्ट्रीय पोर्टलों के उपयोग और डेटा साक्षरता जैसी तकनीकी दक्षताओं को एक अनिवार्य विषय के रूप में स्थापित किया गया है। यह शोध अध्ययन वर्णनात्मक एवं गुणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है, जिसमें नीतिगत दस्तावेजों, नियामक निकायों की रिपोर्टों और समकालीन शैक्षिक विमर्शों का द्वितीयक स्रोतों के रूप में विश्लेषण किया गया है। अंत में, जमीनी स्तर पर नीति के

क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों, जैसे-संस्थानों के विलय हेतु वित्तीय संसाधनों की कमी, शिक्षक-प्रशिक्षकों के पुनःअनुकूलन की आवश्यकता और क्षेत्रीय विविधताओं के संतुलन, को उजागर करता है तथा उनके समाधान हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है। यह शोध निष्कर्ष निकालता है कि यद्यपि यह नीति शिक्षक को ज्ञान प्रदाता से परामर्शदाता के रूप में रूपांतरित करने का ठोस तार्किक ढांचा प्रदान करती है, किंतु इसके पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति कुशल प्रशासनिक क्रियान्वयन और मजबूत संस्थागत इच्छाशक्ति पर निर्भर है।

सूचक शब्द:राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षक शिक्षा, पाठ्यक्रम,एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, भारतीय ज्ञान परंपरा, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक विकास।

प्रस्तावना

"शिक्षा किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की आधारशिला होती है, और शिक्षक उस आधारशिला का मुख्य शिल्पी होता है।"कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) ने अपने प्रतिवेदन के प्रथम वाक्य में ही स्पष्ट रूप से रेखांकित किया था कि "भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है।" कक्षाओं के इस भाग्य-निर्माण की गुणवत्ता प्रत्यक्ष रूप से उन शिक्षकों की योग्यता, प्रतिबद्धता, ज्ञान और कौशल पर निर्भर करती है, जो छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। अतः यह स्वतः सिद्ध है कि एक सुदृढ़ और भविष्य-उन्मुख राष्ट्र के निर्माण के लिए एक उत्कृष्ट और प्रासंगिक शिक्षक शिक्षा प्रणाली का होना अनिवार्य शर्त है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद से भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के ढांचे को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसके बाद आए 'कार्य योजना 1992'ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर प्राथमिक स्तर पर सुधार के प्रयास किए। इसके बाद, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा 2010 ने शिक्षक शिक्षा को बाल-केंद्रित बनाने पर बल दिया। इसके बावजूद, देश का शिक्षक शिक्षा क्षेत्र लंबे समय से गंभीर विसंगतियों और संरचनात्मक चुनौतियों से जूझता रहा। न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (2012), जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक शिक्षा की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट में बेहद चिंताजनक तथ्य उजागर किए थे। समिति ने पाया कि देश में हजारों की संख्या में ऐसे एकल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान व्यावसायिक व्यावसायिकता से परे होकर केवल व्यावसायिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ न तो पर्याप्त बुनियादी ढांचा है और न ही योग्य शिक्षक-प्रशिक्षक। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक बी. एड. और डी.एल.एड. पाठ्यक्रमों की विषय-वस्तु अत्यंत सैद्धांतिक और पुरानी पड़ चुकी थी, जिसका वास्तविक स्कूली कक्षाओं की व्यावहारिक और तकनीकी आवश्यकताओं से कोई सीधा मेल नहीं था। इंटरनशिप और व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि को भी केवल एक औपचारिकता मान लिया गया था। इसी पृष्ठभूमि में, 21वीं सदी की तीव्र तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और बदलती सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' को स्वीकृति दी गई। डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन का एक अभूतपूर्व खाका पेश करती है। यह नीति स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि कोई भी शिक्षा नीति तब तक धरातल पर सफल नहीं हो

सकती, जब तक उसके पास अत्यधिक प्रेरित, कुशल और स्वायत्त शिक्षक न हों। NEP2020 शिक्षक शिक्षा को अकादमिक अलगाव (Academic Isolation) से बाहर निकालने का आह्वान करती है। यह नीति वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली की जड़ता को तोड़ते हुए इसे बहु-विषयक दृष्टिकोण (Multidisciplinary Approach) की ओर ले जाने, तकनीकी और डिजिटल साक्षरता को अनिवार्य बनाने तथा भारत की समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा (Indian Knowledge System) को आधुनिक शिक्षा शास्त्र के साथ एकीकृत करने पर बल देती है।

अतः, यह शोध का मुख्य विमर्श और प्रासंगिकता इसी बिंदु पर केंद्रित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार शिक्षक शिक्षा के संस्थागत ढांचे को पुनर्गठित कर रही है, इसके लागू होने से शिक्षक प्रशिक्षण की पाठ्यचर्या में कौन-से गुणात्मक और तार्किक परिवर्तन आ रहे हैं, और 2030 तक के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे सामने कौन-सी व्यावहारिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ खड़ी हैं। यह अध्ययन शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शोधार्थियों, प्राध्यापकों और नीति-निर्माताओं के लिए एक विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने का प्रयास है।

साहित्य की समीक्षा

प्रस्तुत शोध विषय की पृष्ठभूमि को समझने और पूर्ववर्ती अनुसंधानों के अंतरालों की पहचान करने के लिए शिक्षक शिक्षा से संबंधित ऐतिहासिक रिपोर्टें और समकालीन साहित्य का पुनरावलोकन किया गया है:

कोठारी शिक्षा आयोग (1966) ने सर्वप्रथम यह स्वीकार किया था कि शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किए बिना स्कूली शिक्षा का कार्याकल्प असंभव है। आयोग ने शिक्षक शिक्षा में 'अलगाव की समाप्ति' (Removal of Isolation) की बात की थी, परंतु पाँच दशकों के बाद भी अधिकांश संस्थान एकल रूप में ही काम करते रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी शिक्षक शिक्षा के विनियामक ढांचे को मजबूत करने पर बल दिया, जिसके परिणामस्वरूप NCTE को संवैधानिक दर्जा मिला, परंतु यह संस्थागत भ्रष्टाचार और व्यावसायिकता को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हो सकी।

न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (2012) की रिपोर्ट इस दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ है। समिति ने अकादमिक ऑडिट के माध्यम से यह प्रमाणित किया कि देश में 10,000 से अधिक एकल बी.एड. कॉलेज ऐसे हैं जो 'डिग्री मिल' के रूप में काम कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के स्थान पर केवल प्रमाण-पत्र वितरित कर रहे हैं। इस समिति ने विनियामक सुधारों और शिक्षक प्रशिक्षण की अवधि को दो वर्ष करने की वकालत की थी।

कस्तूरीरंगन और अन्य (2019) ने 'ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी' में यह तर्क दिया कि जब तक शिक्षकों को विज्ञान, दर्शन और कला के व्यापक विषयों से युक्त बहु-विषयक माहौल में प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक वे छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित नहीं कर सकते।

महापात्रा और जेना (2022) ने अपने शोध में 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का विश्लेषण करते हुए इसे वैश्विक मानकों के अनुकूल बताया, जो विषय-ज्ञान और शिक्षण-शास्त्र के बीच के अंतर को समाप्त करता है।

शर्मा और मिश्रा (2024) ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया कि पारंपरिक बी.एड. पाठ्यक्रम में भारतीय जीवन-मूल्यों और प्राचीन ज्ञान प्रणालियों की घोर उपेक्षा की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि NEP 2020 द्वारा पाठ्यक्रम में 'पंचकोश विकास' और स्थानीय ज्ञान का एकीकरण शिक्षकों में आत्म-गौरव जगाने के लिए आवश्यक है, परंतु इसे आधुनिक विज्ञान के साथ संतुलित करना एक बड़ी चुनौती है।

सिंह (2023) ने अपने शोध पत्र में पाया कि कोरोना काल के बाद कक्षाओं का स्वरूप बदला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि NEP 2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में 'ब्लेंडेड लर्निंग' और 'दीक्षा/स्वयं' पोर्टलों का समावेश शिक्षकों को 'ई-सामग्री निर्माता' के रूप में रूपांतरित कर रहा है, जो 21वीं सदी की तकनीकी साक्षरता के लिए अपरिहार्य है।

शोध के उद्देश्य

शोध का मुख्य ध्यान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक शिक्षा की दशा और दिशा का मूल्यांकन करना है। इस विमर्श को तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

- शिक्षक शिक्षा के संस्थागत ढांचे पर NEP 2020 के संरचनात्मक प्रभावों का अध्ययन करना।
- यह विश्लेषण करना कि एकल शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ एकीकृत करने की योजना का ढांचागत स्वरूप क्या है।
- 2030 तक न्यूनतम शिक्षक योग्यता के रूप में प्रस्तावित 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की संरचना, प्रवेश प्रक्रिया (NTA द्वारा संचालित) और इसके संस्थागत मॉडल का अध्ययन करना।
- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की नई भूमिका और राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के प्रभाव को समझना।
- शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में आए गुणात्मक बदलावों, डिजिटल साक्षरता और भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश का विस्तृत विश्लेषण करना।
- यह परखना कि नवीन पाठ्यचर्या अर्थात् ढांचे से जुड़ाव किस प्रकार भावी शिक्षकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और बुनियादी साक्षरता से लेकर माध्यमिक स्तर के बच्चों की मनोवैज्ञानिक और विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करती है।
- पाठ्यक्रम में भारत के प्राचीन शैक्षिक दर्शन, मूल्य-आधारित शिक्षा (Ethical Values), पंचकोश विकास की अवधारणा और स्थानीय जनजातीय ज्ञान-प्रणालियों के समावेश के तार्किक आधार को स्पष्ट करना।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में शिक्षकों को केवल तकनीक का उपभोक्ता न बनाकर, उन्हें दीक्षा और स्वयं जैसे राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से ई-सामग्री निर्माता तथा ब्लेंडेड लर्निंग का विशेषज्ञ बनाने वाले पाठ्यक्रम तत्वों का मूल्यांकन करना।
- नीति के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।
- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के मौजूदा कॉलेजों को वित्तीय संसाधनों के अभाव में बहु-विषयक परिसरों में अपग्रेड करने की व्यावहारिक कठिनाइयों का आकलन करना।

- वर्तमान शिक्षक-प्रशिक्षकों (Teacher Educators) को नई शिक्षा नीति की मूल भावना, अनुभवात्मक अधिगम और आधुनिक डिजिटल टूल्स के अनुसार पुनः प्रशिक्षित करने से जुड़ी चुनौतियों को रेखांकित करना।
- भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक समान राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (NCFTE) को लागू करने की व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करना।

शोध पद्धति

किसी भी वैज्ञानिक और अकादमिक अनुसंधान की विश्वसनीयता उसकी व्यवस्थित शोध पद्धति पर निर्भर करती है। प्रस्तुत शोध पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शिक्षक शिक्षा और उसकी पाठ्यचर्या पर पड़ने वाले प्रभावों का वस्तुनिष्ठ (Objective) मूल्यांकन करने के लिए एक सुव्यवस्थित अनुसंधान संरचना का निर्माण किया गया है। इस पद्धति के विभिन्न आयाम निम्नलिखित उप-बिंदुओं के अंतर्गत विस्तृत हैं:

- **अनुसंधान का प्रारूप:** अध्ययन मुख्य रूप से गुणात्मक और वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप पर आधारित है:-
 - गुणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग नीतिगत दस्तावेजों में निहित वैचारिक बदलावों, दार्शनिक आधारों (जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा) और नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण को समझने के लिए किया गया है। वर्णनात्मक दृष्टिकोण का इसके माध्यम से शिक्षक शिक्षा के वर्तमान संस्थागत ढांचे और नीति लागू होने के बाद होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों (जैसे एकल संस्थानों का बहु-विषयक परिसरों में रूपांतरण) का विस्तृत और वास्तविक विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह प्रारूप 'क्या है' और 'क्या होना चाहिए' के बीच के अंतरालों का तार्किक विश्लेषण करने में सहायक है।
- **आंकड़ों के स्रोत**

यह अध्ययन एक नीतिगत विश्लेषण है, इसलिए इसमें प्राथमिक आंकड़ों के स्थान पर व्यापक द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। आंकड़ों के संकलन के लिए निम्नलिखित प्रामाणिक स्रोतों को आधार बनाया गया है।

 - शासकीय एवं नीतिगत दस्तावेज: भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा जारी मूल 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' का आधिकारिक प्रतिवेदन।
 - नियामक निकायों के दिशा-निर्देश: राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा जारी एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के नियम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और एनसीईआरटी के नवीनतम दस्तावेज।
 - अकादमिक एवं साहित्य समीक्षा: यूजीसी-केयर, स्कोपस और अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित प्रासंगिक अकादमिक शोध पत्र, प्रसिद्ध शिक्षाविदों के विश्लेषणात्मक लेख तथा न्यायमूर्ति जे.एस.वर्मा समिति (2012) जैसी महत्वपूर्ण समितियों की रिपोर्ट।
- **अनुसंधान के उपकरण एवं प्रक्रिया**

द्वितीयक सामग्री के संकलन और प्रसंस्करण के लिए विषय-वस्तु विश्लेषण को मुख्य उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। सर्वप्रथम NEP2020 के अध्याय 15 (शिक्षक शिक्षा) और उससे जुड़े अन्य उप-अध्यायों का सूक्ष्मता से चयन किया गया। संकलित की गई सामग्री को तीन प्रमुख श्रेणियों—संरचनात्मक सुधार, पाठ्यचर्या में गुणात्मक परिवर्तन (स्कूली ढांचा, भारतीय ज्ञान परंपरा, डिजिटल साक्षरता), और क्रियान्वयन की चुनौतियाँ—में वर्गीकृत किया गया। पारंपरिक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम (NCFTE 2010) और नीति के बाद के प्रस्तावित पाठ्यक्रम (NCFTE के नवीन प्रारूप) के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। शोध की प्रासंगिकता और सटीकता बनाए रखने के लिए केवल उन्हीं दस्तावेजों और लेखों को शामिल किया गया है जो सीधे तौर पर उच्च शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, बी.एड., आईटीईपी और सतत व्यावसायिक विकास से संबंधित हैं। सामान्य स्कूली शिक्षा के ऐसे सुधार जिनका शिक्षक प्रशिक्षण से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, उन्हें इस शोध के मुख्य विमर्श से अपवर्जित किया गया है।

विश्लेषण और विवेचना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सर्वाधिक दूरगामी और व्यापक प्रभाव देश के शिक्षक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ा है। यह नीति केवल सतही सुधारों की बात नहीं करती, बल्कि शिक्षक तैयार करने वाले संस्थानों की आंतरिक कार्यप्रणाली और उनकी वैचारिक पाठ्यचर्या को समकालीन वैश्विक आवश्यकताओं तथा प्राचीन भारतीय जीवन-मूल्यों के आलोक में पुनर्गठित करती है। इस प्रभाव का विस्तृत और समालोचनात्मक विश्लेषण निम्नलिखित उप-शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत है:

➤ संस्थागत और संरचनात्मक सुधार

NEP2020 ने भारत में शिक्षक तैयार करने वाली संस्थाओं के मूल स्वरूप और उनकी प्रशासनिक अवसंरचना में दो मूलभूत और क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जो इस क्षेत्र के पारंपरिक अलगाव (Academic Isolation) को समाप्त करते हैं:

बहु-विषयक दृष्टिकोण (Multidisciplinary Approach) और संस्थागत विलय:

- **तर्क व नीतिगत निर्देश:** भारतीय शिक्षक शिक्षा का इतिहास गवाह है कि अधिकांश बी.एड. संस्थान एकल रूप में संचालित होते रहे हैं, जिससे शिक्षण विधा अन्य ज्ञान-शाखाओं (जैसे मानविकी, शुद्ध विज्ञान, सामाजिक विज्ञान) से कटी रही। न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (2012) की सिफारिशों को कड़ाई से लागू करते हुए नीति ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा संस्थान बंद कर दिए जाएंगे या उन्हें जीवंत, बहु-विषयक विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के साथ अनिवार्य रूप से संबद्ध किया जाएगा।
- **प्रभाव:** इस संरचनात्मक सुधार का मुख्य लाभ यह होगा कि भावी शिक्षकों को एक ऐसा अकादमिक परिवेश मिलेगा जहाँ वे इतिहास, कला, अर्थशास्त्र और विज्ञान के छात्रों के साथ सह-अधिगम कर सकेंगे। यह अंतःक्रिया (Interaction) शिक्षकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाएगी, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा द्वारा अपेक्षित बहु-विषयक शिक्षण के लिए अनिवार्य है।

4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम:

- संरचनात्मक प्रारूप: नीति के अनुसार, वर्ष 2030 तक स्कूली प्रणालियों में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड.डिग्री होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा संचालित राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इसमें प्रवेश सुनिश्चित किया गया है। यह कार्यक्रम कला, विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों के लिए उनकी रुचि के अनुसार पृथक रूप से उपलब्ध है।
- अकादमिक लाभ: यह मॉडल विषय ज्ञान और शिक्षण-शास्त्र का एक सुदृढ़ समामेलन है। जहाँ पुराना मॉडल स्नातक के बाद 2 वर्ष अलग से लेता था, वहीं ITEP छात्रों का एक मूल्यवान शैक्षणिक वर्ष बचाता है। इसके साथ ही, वैकल्पिक द्वारों को खुला रखते हुए, जिन छात्रों के पास पहले से ही किसी विषय में 3-वर्षीय स्नातक या 2-वर्षीय स्नातकोत्तर की डिग्री है, उनके लिए क्रमशः 2-वर्षीय और 1-वर्षीय बी.एड. कार्यक्रमों की संरचना को भी बनाए रखा गया है।

पाठ्यक्रम में गुणात्मक परिवर्तन:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा को रटंत विद्या और संकीर्ण व्यवहारवाद से मुक्त कर अत्यधिक व्यावहारिक, संज्ञानात्मक और तार्किक बनाया है। पाठ्यक्रम में किए गए गुणात्मक परिवर्तनों का समालोचनात्मक विश्लेषण निम्नलिखित तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है:

- फाउंडेशनल चरण (Foundational Stage-5वर्ष/आयु 3-8): नए पाठ्यक्रम में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा(ECCE) को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भावी शिक्षकों को 3 से 8 वर्ष के बच्चों के मानसिक व गामक विकास (Motor Skills) के लिए खेल-आधारित (Play based) और गतिविधि-आधारित पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत निपुण भारत(NIPUN Bharat) के लक्ष्यों के अनुरूप बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) को पाठ्यक्रम का मुख्य कोर बनाया गया है, ताकि प्राथमिक स्तर पर ही भाषा और गणित की मजबूत नींव रखी जा सके।
- प्रिपरेटरी और मिडिल चरण (Preparatory-Middle Stage-6वर्ष /आयु 8-14): कक्षा 3 से 8 के स्तर पर विषयों की अमूर्त अवधारणाओं (Abstract Concepts) को रटाने के बजाय अनुभवजन्य अधिगम और दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ने की कला सिखाई जा रही है। साथ ही, व्यावसायिक कौशल और कोडिंग जैसे आधुनिक तत्वों को पाठ्यक्रम में समेकित किया गया है।
- सेकेंडरी चरण (Secondary Stage-4 वर्ष/आयु 14-18): कक्षा 9 से 12 के किशोर छात्रों के मार्गदर्शन के लिए शिक्षक पाठ्यक्रम को अत्यधिक गहन, विषयों के लचीले चयन पर आधारित और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाला बनाया गया है। इस संरक्षण के परिणामस्वरूप अब शिक्षक केवल सामान्य रूप से नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि वे बच्चे की सटीक आयु, उसके मनोवैज्ञानिक स्तर और मानसिक विकास के चरण के अनुसार 'सटीक शिक्षण-शास्त्र'(Differentiated Pedagogy) का प्रयोग करने में सक्षम होते होंगे।

➤ भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेशन

- मैकालेवादी औपनिवेशिक शिक्षा के प्रभावस्वरूप भारतीय छात्र और शिक्षक अपनी ही समृद्ध सांस्कृतिक जड़ों, स्थानीय पर्यावरण चेतना और पारंपरिक नैतिक मूल्यों से विमुख होते जा रहे थे। वैश्विक नागरिक बनने की होड़ में आत्म-गौरव के भाव को पुनर्स्थापित करने और शिक्षा को प्रासंगिक बनाने के लिए स्थानीय से वैश्विक का तार्किक दृष्टिकोण अनिवार्य था।
- पाठ्यक्रम में गुणात्मक बदलाव: दार्शनिक एवं ऐतिहासिक आधार: भावी शिक्षकों के पाठ्यक्रम में भारत के प्राचीन गौरवमयी विश्वस्तरीय शिक्षा केंद्रों (जैसे तक्षशिला, नालंदा, वलभी, विक्रमशिला) की छात्र-केंद्रित विधाओं को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और आधुनिक युग में रवींद्रनाथ टैगोर के प्रकृति-वाद, स्वामी विवेकानंद के मनुष्य-निर्माण तथा महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा के दर्शन को एकीकृत किया गया है।
- समग्र व्यक्तित्व विकास: पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों के केवल बौद्धिक विकास के बजाय पंचकोश विकास की अवधारणा को पुनर्जीवित किया गया है, जिसके तहत—अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोषों (शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक) के विकास हेतु विधियाँ सुझाई गई हैं। यह शिक्षकों को छात्रों में अहिंसा, न्याय, सत्य, पर्यावरण चेतना और वसुधैव कुटुंब के मूल्यों को रोपित करने हेतु प्रशिक्षित करता है।
- स्थानीय, जनजातीय एवं लोक ज्ञान का एकीकरण: पाठ्यक्रम में भारत की समृद्ध जनजातीय ज्ञान-प्रणालियों (Tribal Knowledge Systems), प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की परंपराओं, लोक कलाओं और वैदिक गणित जैसी तार्किक युक्तियों को स्थान दिया गया है, ताकि शिक्षक बच्चों को उनकी मातृभाषा और स्थानीय परिवेश के माध्यम से अमूर्त विषयों को आसानी से समझा सकें।

➤ तकनीकी एवं डिजिटल साक्षरता

समकालीन कक्षाएं अब केवल चारदीवारी और ब्लैकबोर्ड तक सीमित नहीं रह गई हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑगमेंटेड रियलिटी और इंटरनेट के इस युग में यदि शिक्षक डिजिटल रूप से पिछड़ जाता है, तो वह आधुनिक पीढ़ी के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तकनीक को अब शिक्षा के अतिरिक्त विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षण की रीढ़ के रूप में देखना तार्किक रूप से अनिवार्य है।

- ब्लेंडेड लर्निंग और हाइब्रिड मॉडल : पाठ्यक्रम में भावी शिक्षकों को पारंपरिक आमने-सामने के शिक्षण और ऑनलाइन माध्यमों के कुशल मिश्रण (Blended Mode) का गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें डिजिटल क्लासरूम का प्रबंधन, वर्चुअल लैब्स का उपयोग और हाइब्रिड कक्षाओं के प्रभावी संचालन की रणनीतियाँ शामिल हैं।
- राष्ट्रीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और ई-सामग्री निर्माण: शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को राष्ट्रीय शैक्षिक पोर्टलों जैसे दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा का व्यावहारिक संचालन सिखाया जा रहा है। इसके अंतर्गत शिक्षकों को केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि

ई-सामग्री निर्माता बनने के लिए ओपन एजुकेशनल रिसोर्सज का विकास, पॉडकास्ट, एजुकेशनल ब्लॉगिंग और इंटरैक्टिव वीडियो निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- सहायक तकनीक और लर्निंग एनालिटिक्स: समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांगजन) हेतु सहायक सॉफ्टवेयरों (जैसे स्क्रीन रीडर्स, स्पीच-टू-टेक्स्ट ऐप्स) को जोड़ा गया है। इसके साथ ही, मूल्यांकन को पारदर्शी और सतत बनाने के लिए शिक्षकों को लर्निंग एनालिटिक्स और डेटा-संचालित मूल्यांकन टूल्स का बुनियादी ज्ञान भी दिया जा रहा है।

➤ निरंतर व्यावसायिक विकास

शिक्षक शिक्षा का दायित्व केवल विद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व प्रशिक्षण देने तक समाप्त नहीं हो जाता बल्कि यह एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। NEP 2020 ने कार्यरत शिक्षकों (In-service Teachers) की व्यावसायिक जड़ता को तोड़ने के लिए दूरगामी नीतिगत और तार्किक बदलाव किए हैं, अक्सर देखा गया है कि सेवा में आने के बाद शिक्षक नवीन अनुसंधानों, बदलते पाठ्यक्रम और नई शिक्षण तकनीकों से कट जाते हैं। ज्ञान के तेजी से बदलते इस दौर में यदि शिक्षक स्वयं को अपग्रेड नहीं करेगा, तो शिक्षण की गुणवत्ता गिरना निश्चित है।

- नीतिगत अधिदेश और पाठ्यक्रम की रूपरेखा: 50 घंटे का अनिवार्य मॉड्यूल नीति ने प्रत्येक शिक्षक, व्याख्याता और प्रधानाचार्य के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है। यह प्रशिक्षण केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसे शिक्षक के करियर विकास (Career Advancement Scheme-CAS) और पदोन्नति से सीधे जोड़ा गया है।
- लचीलापन और डिजिटल पहुंच: इस पाठ्यक्रम को अत्यधिक लचीला बनाया गया है। कार्यरत शिक्षक अपनी रुचि और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार मॉड्यूल का चयन कर सकते हैं। इसके लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर निष्ठा जैसे व्यापक राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक भी देश के शीर्ष विषय-विशेषज्ञों से सीधे जुड़कर ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- नेतृत्व और प्रबंधन का पाठ्यक्रम: इस निरंतर व्यावसायिक विकास (CPD) पाठ्यक्रम के अंतर्गत केवल विषय-ज्ञान ही नहीं, बल्कि प्रधानाचार्यों और वरिष्ठ शिक्षकों के लिए स्कूल नेतृत्व, अकादमिक योजना निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और आपदा प्रबंधन जैसे व्यावहारिक विषयों को शामिल किया गया है।

क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सैद्धांतिक रूप से शिक्षक शिक्षा के पुनरुद्धार का एक सर्वोत्कृष्ट संवेदी दस्तावेज है, परंतु इसके व्यावहारिक पक्ष का विश्लेषण करने पर जमीनी स्तर पर कई गंभीर और बहुआयामी चुनौतियाँ उभरकर सामने आती हैं। किसी भी नीति की सफलता उसके आदर्शों से अधिक उसके कुशल क्रियान्वयन (Implementation) पर निर्भर करती है। इस अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख व्यवधानों की पहचान की गई है:

➤ अवसंरचनात्मक सीमाएं और वित्तीय संसाधनों का अभाव

- बहु-विषयक परिसरों में रूपांतरण की जटिलता: नीति का यह अधिदेश कि 2030 तक सभी एकल बी.एड. कॉलेजों को बहु-विषयक उच्च शिक्षण संस्थानों में बदला जाए, प्रशासनिक और वित्तीय रूप से एक अत्यंत दुरुस्त कार्य है। भारत के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान छोटे परिसरों में संचालित हैं, जहाँ अन्य विषयों (कला, विज्ञान, वाणिज्य) को शुरू करने के लिए न तो अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है और न ही आवश्यक अवसंरचना (जैसे आधुनिक प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय)।
- वित्तीय भार: एकल संस्थानों को रातों-रात व्यापक विश्वविद्यालयों या क्लस्टर कॉलेजों में अपग्रेड करने के लिए भारी बजटीय आवंटन की आवश्यकता है। वर्तमान बजटीय प्राथमिकताओं को देखते हुए यह ढांचागत निवेश एक बड़ी बाधा बना हुआ है।

➤ शिक्षक-प्रशिक्षकों का पुनः अनुकूलन एवं वैचारिक प्रतिरोध

- तकनीकी एवं शिक्षण-शास्त्रीय अंतराल: वर्तमान में बी.एड. और डी.एल.एड. संस्थानों में कार्यरत प्राध्यापक लंबे समय से पारंपरिक, सैद्धांतिक और व्याख्यान-आधारित शिक्षण विधियों के अभ्यस्त रहे हैं। उन्हें नई शिक्षा नीति की मूल भावना, जैसे अनुभवात्मक अधिगम, योग्यता-आधारित मूल्यांकन और पंचकोश विकास के व्यावहारिक पक्षों को लागू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
- डिजिटल विभाजन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लर्निंग एनालिटिक्स और ब्लेंडेड लर्निंग टूल्स के प्रभावी संचालन के लिए जिस उच्च स्तरीय डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता है, उसका मौजूदा फैकल्टी में अभाव है। इन शिक्षक-प्रशिक्षकों के भीतर पारंपरिक ढर्रे को छोड़ने के प्रति एक अदृश्य वैचारिक प्रतिरोध भी देखा जा रहा है।

➤ मानकीकरण बनाम क्षेत्रीय एवं भाषाई विविधता

- एक समान पाठ्यक्रम की सीमाएं: भारत जैसे अत्यधिक विविधतापूर्ण राष्ट्र में, जहाँ हर राज्य की अपनी भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक विशेषताएं हैं, एक केंद्रीयकृत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा को अक्षरशः लागू करना चुनौतीपूर्ण है।
- मातृभाषा बनाम वैश्विक आवश्यकताएं: NEP 2020 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर बल देती है। इसके विपरीत, उच्च शिक्षा और तकनीकी सामग्री मुख्य रूप से अंग्रेजी में उपलब्ध है। ऐसे में बहुभाषी कक्षाओं के लिए शिक्षकों को तैयार करना और स्थानीय आवश्यकताओं (जैसे जनजातीय क्षेत्रों के ज्ञान-पारिस्थितिकी) को राष्ट्रीय मानकों के साथ संतुलित करना एक अत्यधिक संवेदनशील और जटिल कार्य है।

निष्कर्ष और सुझाव

निष्कर्ष: अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत में शिक्षक शिक्षा के पारंपरिक ढर्रे को पूरी तरह से विखंडित कर उसे एक नया, आधुनिक और प्रगतिशील आयाम प्रदान किया है। नीति ने शिक्षक की भूमिका को एक संकीर्ण सूचना प्रदाता से ऊपर उठाकर एक सुविधादाता, परामर्शदाता और समाज के मार्गदर्शक के रूप में पुनर्स्थापित करने का महती प्रयास किया है। पाठ्यक्रम के स्तर पर, स्कूली शिक्षा के 5+3+3+4 ढांचे के साथ तार्किक संरेखण बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के अनुकूल है। भारतीय ज्ञान परंपरा का

समावेश जहाँ भावी शिक्षकों में राष्ट्रीय गौरव और नैतिक मूल्यों का संचार करता है, वहीं तकनीकी एवं डिजिटल साक्षरता उन्हें वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से जूझने के लिए भविष्य-उन्मुख बनाती है। यद्यपि संस्थागत अलगाव की समाप्ति और 4-वर्षीय ITEP के क्रियान्वयन में वित्तीय एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं, तथापि यह नीति भारत को पुनः वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने की दिशा में एक सही और अपरिहार्य कदम है।

सुझाव: शिक्षक शिक्षा और उसके पाठ्यक्रम को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूँ :

- विशेष बजटीय आवंटन और सार्वजनिक-निजी भागीदारी सरकार को एकल बी.एड. संस्थानों को बहु-विषयक परिसरों में अपग्रेड करने के लिए एक विशेष शिक्षक शिक्षा अवसंरचना कोष की स्थापना करनी चाहिए। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मॉडल को भी तलाशा जा सकता है।
- सख्त विनियामक तंत्र और जवाबदेही राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को केवल कागजी मापदंडों के बजाय संस्थानों की वास्तविक शैक्षणिक गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करनी चाहिए। फर्जी, अप्रचलित या केवल डिग्री बांटने वाली संस्थानों पर कड़ा कानूनी अंकुश लगाया जाना जारी रहना चाहिए, ताकि इस पेशे की पवित्रता बनी रहे।
- प्रायोगिक अधिगम और दीर्घकालिक इंटरनशिप शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में केवल सैद्धांतिक परीक्षाओं के भार को कम करके क्रियात्मक अनुसंधान, केस स्टडीज और वास्तविक स्कूली परिवेश में दीर्घकालिक सघन इंटरनशिप को अनिवार्य किया जाना चाहिए। भावी शिक्षकों का मूल्यांकन इस बात पर होना चाहिए कि वे वास्तविक कक्षा में बच्चों की समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं।
- फैंकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का संस्थागत सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर और उच्च गुणवत्ता वाले 'पुनःचर्चा पाठ्यक्रम'(Refresher Courses) संचालित किए जाने चाहिए। इन कार्यक्रमों में उन्हें आधुनिक डिजिटल टूल्स (जैसे दीक्षा, स्वयं पोर्टल का निर्माण) और अनुभवात्मक शिक्षण विधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य किया जाए।
- क्षेत्रीय आवश्यकताओं का पाठ्यचर्या में अनुकूलन : राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFTE) को लागू करते समय राज्यों को कम से कम 25-30% पाठ्यक्रम को स्थानीय कला, संस्कृति, जनजातीय ज्ञान प्रणालियों और क्षेत्रीय भाषाओं के अनुरूप अनुकूलित करने की स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ताकि लोकल से ग्लोबल का नारा यथार्थ बन सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- कस्तूरीरंगन, के., भार्गव, एम., रामानुजन, ए., बेहार, ए., विल्सन, ए., अनामलाई, एम., और अन्य। (2019)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप (Draft National Education Policy)। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- एनसीईआरटी [NCERT,(2005)। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। <https://ncert-nic-in/pdf/ncframework/nf2005&h-pdf>
- एनसीईआरटी [NCERT,। (2023)। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF&SE)। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। https://ncert-nic-in/pdf/ncframework/Draft_NCF_School_Education_6_April_2023-pdf
- कोठारी, जी. एस. (1966)। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास: शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (1964–66)। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
- महापात्रा, ए. के., और जेना, एस. (2022)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP):एक विश्लेषणात्मक विमर्श। भारतीय आधुनिक शिक्षा, 52(3), 45–58।
- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद [NCTE,। (2010)। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा: गरिमापूर्ण और मानवीय शिक्षक की ओर (NCFTE2010)। भारत सरकार।
- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद [NCTE,। (2021)। एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP)के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश एवं विनियामक ढांचा। भारत सरकार।<https://ncte-gov-in/Website/ITEP-asp>
- वर्मा, जे. एस. (2012)। भारत में शिक्षक शिक्षा पर उच्च अधिकार प्राप्त आयोग की रिपोर्टविनियामक और गुणात्मक सुधारों का विजन दस्तावेज (खंड 1–3)। भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
- शर्मा, पी., और मिश्रा, आर. के. (2024)। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा का एकीकरण: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ। शैक्षणिक विमर्श,16(2),112–126।
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। प्रकाशन विभाग, भारत सरकार। https://www-education-gov-in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_HINDI_0-pdf
- सिंह, एम. एन. (2023)। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता और ब्लेंडेड लर्निंग की अनिवार्यता:NEP 2020 के बाद का परिदृश्य। तकनीकी और नवाचारी शिक्षा जर्नल, 8(1), 14–29।